



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 982]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2009/आषाढ़ 8, 1931

No. 982]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2009/ASADHA 8, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2009

का.आ. 1575(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 जून, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 99 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1-54/एमएमपीओ/एफएसएसएआई/2008/डीएफक्यूसी-1]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2009

S.O. 1575(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Food Safety and Standard Authority Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 29th June, 2009 as the date on which the provisions of Section 99 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1-54/MMPO/FSSAI/2008/DFQC-1]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.